न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–दशम, भोजपुर, आरा।
सत्र वाद सं0–159/2005

08.05.2025

अभियुक्त रामदयाल कुम्हार की हाजरी है और अभियुक्त रामराज कुम्हार तथा धर्मेन्द्र कुम्हार की ओर से धारा 317 दं0प्र0सं0 का आवेदन है जो आज के लिए स्वीकृत किया गया। वादी की ओर से वकालतनामा एवं दस्तावेज की सूची के साथ टाईटिल अपील 19/10 के निर्णय की छाया प्रति दाखिल किया गया।

अभिलेख आदेश हेतु निश्चित है। अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन/सूचक की ओर से सूचक साक्षी देवकी सिंह की हाजरी के साथ धारा 311 द्र0प्र0सं0 (276 BNSS) के अंतर्गत दि0–17.04.2025 को आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि जानकारी के अभाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सका है। सूचक सहित आवेदन में अंकित चार साक्षियों का साक्ष्य होना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायालय द्वारा दि0–26.03.2025 को पारित आदेश रिकौल करते हुए सूचक सहित अन्य साक्षियों का साक्ष्य कराने की अनुमति देने की कृपा की जाय।

बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन/सूचक की ओर से दाखिल उक्त आवेदन का दि0–28.04.2025 को प्रत्युत्तर दाखिल कर कहा गया है कि अभियोजन/सूचक की ओर से दाखिल उक्त आवेदन खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी वर्ष 1999 का है और मामले में दि0–17.11.2005 को आरोप का गठन किया गया है और संहिता के प्रावधानों के अनुसार सूचक सहित आरोप पत्र के अन्य साक्षियों के विरूद्ध सम्मन, जमानतीय अधिपत्र, अजमानतीय अधिपत्र एवं आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर, आरा को D.O. Letter एवं अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया। किन्तु मामले में अभियोजन की ओर से सूचक सहित अन्य साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। अपराध की प्रकृति को देखते हुए न्यायहित और उचित न्याय निर्णयन हेतु अभियोजन/सूचक की ओर से आवेदन में अंकित साक्षियों को साक्ष्य देने का मौका दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में सूचक/अभियोजन की ओर से दि0–17.04.2025 को दाखिल आवेदन को मो0–4000/–(चार हजार) रूपया खर्चा पर **स्वीकृत** किया जाता है। खर्चे की राशि को विधिक सेवा प्राधिकार, आरा के बैंक खाता में जमा करे। खर्चा जमा करने के पश्चात ही अभियोजन लगातार चार तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करे और लगातार दो तिथियों पर अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अभियोजन साक्ष्य स्वतः ही बन्द हो जायेगा।

दि0–22.05.2025 वास्ते सुनवाई एवं अभियोजन साक्ष्य।

लेखापित
08/5/25

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–दशम्,
भोजपुर, आरा।